

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं००९/कोर्ट-10-15/2014

/स्वा०/पटना,दिनांक

/ डा० निखिल कुमार रोहतगी,

चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र इमामगंज, गया (राजकीय औषधालय, इमामगंज) को लंबे समय तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में संकल्प सं० 1338(9) दिनांक 20.08.96 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर विभागीय संकल्प सं० 1219(9) दिनांक 27.07.04 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया था।

सी०डब्लू०जे०सी० सं० 7922/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 6.12.10 द्वारा डा० निखिल कुमार रोहतगी की बर्खास्तगी संकल्प सं० 1219(9) दिनांक 27.07.04 को निरस्त कर दिया गया तथा मामले को विभाग को वापस करते हुए डा० रोहतगी के विरुद्ध नए सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की छुट दी गई।

उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 1219(9) दिनांक 27.07.04 को निरस्त किया जाता है।

डा० निखिल कुमार रोहतगी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, इमामगंज, गया के विरुद्ध नये सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,
स्वा० विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: 346(9)

/स्वा०, पटना, दिनांक:

7/05/2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० निखिल कुमार रोहतगी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र इमामगंज, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

&